590 किलो अफीम डोडा-चूरा के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार

अभियान के तहत राजन दुष्यंत पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की

- अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत नाकाबंदी के दौरान दो अलग-अलग जगह कार्रवाई की

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले की सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत नाकाबंदी के दौरान दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 590 किलो अफीम डोडा-चूरा के साथ बोलेरो पिकअप को बरामद करते हुए पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु निरन्तर चलाये जा रहे अभियान के तहत राजन दुष्यंत पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा, विमल सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भीलवाड़ा के निर्देशन व वृताधिकारी सदर श्यामसुन्दर विश्नोई के निकटतम सुवरवीजन, उषा यादव आई.पी.एस (प्रो) थानाधिकारी थाना सदर के उक्त कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार उषा यादव थाना प्रभारी मय जाब्ता द्वारा कोटड़ी चौराहे पर नाकाबंदी कार्रवाई कर आने-जाने वाले वाहनो को रोका जाकर चैक किया जा रहा था कि दौरान सवाईपुर की तरफ से एक सफेद बोलेरो पिकअप आई, जिसके चालक का नाम पता पूछा तो अपना नाम यशवंत कुमार पुत्र शंभुलाल कुमावत निवासी धमांचा थाना बेंगु जिला चित्तौड़गढ़ होना बताया।

मौके पर तलाशी ली तो बोलेरो पिकअप के डाले में सफेद कपास रूई के नीचे 11 प्लास्टिक कट्टों में डोडा-चूरा भरा होना पाया गया जिनका वजन किया तो कट्टों सहित कुल वजन 226 किलो 51 ग्राम होना पाया गया। यशवंत कुमार पुत्र शंभुलाल कुमावत को गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान श्यामसुन्दर वृताधिकारी वृत सदर भीलवाड़ा के जिम्मे किया गया। इस दौरान अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा-चूरा आपूर्तिकर्ता गजराज पुत्र देवकरण गुर्जर निवासी कालियास थाना शंभुगढ़ जिला भीलवाड़ा एवं लालुराम पुत्र शंकरलाल धाकड़ निवासी कांकरीया तलाई थाना रतनगढ़ जिला नीमच मध्यप्रदेश को भी गिरफ्तार किया गया।

364 किलो डोडा-चूरा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार:- भीलवाड़ा शहर की सदर थाना पुलिस ने एक कार से 364 किलो डोडा-चूरा के साथ चित्तौड़गढ़ जिले के दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

सदर थाना पुलिस ने डोडा-चूरा के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया।

सदर थाना पुलिस ने बताया कि पुलिस ने रूपाहेली चौराहा से धुमडास-पौंड्रांस रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबरी को कार को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके दो युवक सवार थे। चालक ने खुद को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना इलाके के सोनियाणा गांव का निवासी संजय (33) पुत्र देवी किशन शर्मा, जबकि उसके पास बैठे युवक ने खुद को सारण निवासी भैरू (35) पुत्र गिरधारी गुर्जर होना बताया।

सुखमनी साहिब का पाठ आज से

अजमेर, (कासं)। शहीदों के सरताज धन धन सतगुरु साहिब श्रीगुरु अर्जुन देवजी का शहीदी दिवस आगामी 10 जून को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष में गुरु नानक गंज गुरुद्वारा साहिब में स्त्री सत्संग सभा की तरफ से 15 मई से प्रतिदिन सायं 5 बजे से 6:30 बजे तक श्रीसुखमनी साहिब के पाठ होंगे। गंज व्यापारिक एसोसिएशन के सचिव पुखराज जंगम ने बताया कि श्रीगुरु नानक सभा गुरुनानक गंज गुरुद्वारे की महिला सत्संग सभा द्वारा विशेष कीर्तन दरबार मंगलवार रात 8 बजे से 9:30 बजे तक सजाया गया। रागी जत्थे भाई सतपाल सिंह, वीर तरनजीत सिंह छाबड़ा सतगुरु का लंगर दीवान की समाप्ति के उपरांत गुरु का लंगर की सेवा रखी गई।

उन्होंने बताया कि श्रीगुरु अर्जुन देवजी का शहीदी दिवस आगामी 10 जून को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष में गुरु नानक गंज गुरुद्वारा साहिब में स्त्री सत्संग सभा की तरफ से 15 मई से प्रतिदिन सायं 5 बजे से 6:30 बजे तक श्रीसुखमनी साहिब के पाठ का आयोजन किया जाएगा। प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा श्री गुरुनानक सभा गुरु नानक गंज, पूज्य सिन्धी पंचायत अजमेर के महासचिव रमेश लालवानी, लक्ष्मणदास सदनानी आदि ने सुख्मनी साहिब के पाठ में अधिक से अधिक सम्मलित होने की सबसे अपील की है।

कार में तोड़फोड़ कर बुजुर्ग व महिला से मारपीट

मदनगंज-किशनगढ़, (निसं)। मदनगंज थाना अंतर्गत सिटी रोड पर मंगलवार को कार-बाइक की टक्कर के दौरान कार में तोड़फोड़ कर महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है।

बेखौफ युवकों द्वारा खुलेआम गाली-गलौच करते हुए कार में तोड़फोड़ कर बुजुर्ग सहित महिला व बच्चों के साथ मारपीट करने से दशहत का माहौल व्याप्त हो गया। घटना से आहत पीड़ित परिवार ने पुलिस के समक्ष शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार टांक पेट्रोल पंप के पास रहने वाले नेमीचंद दोषी मैरिज एनिवर्सरी के दिन दान- पुण्य कर घर लोट रहे थे। इस बीच सुमेर सिटी सेंटर के पास चलती कार के बााइक अड़ने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। बाइक सवार युवक गाली-गलौच करते हुए कार सवार नेमीचंद सहित महिला व बच्चों के साथ धक्का-मुक्की कर मारपीट करने लग गये।

मारपीट का वीडिओ वायरल होने के बाद सभी ने घटना के प्रति रोष व्यक्त किया है। मदनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सार-समाचार

मेक्रेम एग्जीबिशन का आयोजन

ब्यावर, (निसं)। श्री वर्धमान शिक्षण समिति द्वारा संचालित वर्धमान इंस्टिट्ययूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग एवं मेकअप आर्टिस्ट विभाग द्वारा मेक्रेम प्रोडक्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा निर्मित मेक्रेम से बने विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगायी गयी। प्रशिक्षका शबाना शेख के दिशानिर्देशन में छात्राओं ने मेक्रेम कला की बारीकियों की जानकारी ली। इस प्रदर्शनी में मेकरेम से बने वॉल हैंगिंग, बैग, कीचेन, पॉट हैंगर, ज्वैलरी, बांधनवार आदि का प्रदर्शन किया गया।समिति मंत्री डॉ नरेन्द्र पारख ने छात्राओं को घर बैठे ही इन स्किल्स को सीखकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया।महाविद्यालय प्राचार्य डा. आर.सी. लोढ़ा ने छात्राओं की कला की प्रशंसा करते हुए इसी प्रकार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।अकादमिक प्रभारी डा. नीलम लोढ़ा ने इन स्किल्स को आज के समय की एक आवश्यकता बताते हुए छात्राओं को लर्न एंड अर्न की महत्वता बताई।इस अवसर पर व्याख्याता छवि गरवाल, रितु प्रजापति, सुमन अग्रवाल, प्रियंका मंगरोला, पूजा कांजानी, सहित समस्त संकाय सदस्य व छात्राएं उपस्थित रही।

उबलती चाय गिरने से झुलसे तीन छात्र

अजमेर, (कासं)। बांदर सिंदरी स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की मेगा मैस में मंगलवार सुबह उस समय तफरा-तफरी मच गई जब उबलती चाय का भगोना तीन छात्रों के ऊपर गिर गया, जिससे छात्र बुरीतरह झुलस गए। झुलसे छात्रों को उपचार के लिए मार्बल सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मेगा मैस में सवेरे छात्र नाश्ते और चाय के लिए लाइन में लगे थे। इस दौरान उबलती चाय का भगोना यकायक कर्मचारी के हाथ से छिटक कर नीचे गिर गया। गरम चाय के छींटे उछलने से तीन छात्र झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए मार्बल सिटी अस्पताल पहुंचाया गया। इस संबंध में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मेगा मैस के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हो गए और नारेबाजी कर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने लगे।

होण्डा का केम्पस प्लेसमेंट में 16 को

अजमेर, (कासं)। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माखुपुरा में होण्डा कार इण्डिया लिमिटेड टपुकड़ा द्वारा केम्पस प्लेसमेन्ट ड्राइव आयोजित की जाएगी। संस्थान के उपनिदेशक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि 16 मई को सुबह 10 बजे से केम्पस ड्राइव का आयोजन प्रस्तावित है। इस केम्पस प्लेसमेन्ट में वर्ष 2021 से फीटर, ऑटोमोबाईल, एवं मशीनीष्ट व्यवसाय से आईटीआई पास पुरूष अभ्यार्थी भाग ले सकते है। आयु सीमा फ्रेशर अभ्यार्थी के लिए 18 से 23 वर्ष एवं अनुभवी अभ्यार्थी के लिए 19 से 25 वर्ष हैं। कम्पनी द्वारा अप्रेन्टिशिप के लिए फ्रेशर अभ्यार्थी एवं अनुभवी अभ्यार्थीयों को फिक्सड टर्म एसोसिएट पद पर भर्ती की जाएगी। वेतन लगभग अप्रेन्टिशिप में 12850 रूपए एवं फिक्सड टर्म में 24250 रूपए देय होगा। उन्होंने बताया कि सभी भाग लेने वाले अभ्यार्थीयों को अपने साथ पास पोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड एवं अपने मूल दस्तावेज मय फोटो कोपी लेकर उपस्थित होना होगा। कुल रिक्त पद लगभग 150 है। यह केम्पस प्लेसमेन्ट केवल राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए हैं।

मुख्य सूची में 138 अभ्यर्थी सफल घोषित

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी (विधि एवं विधिक कार्य विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2023 के साक्षात्कार का परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें टीएसपी क्षेत्र के 5 एवं नॉन टीएसपी क्षेत्र के 133 अभ्यर्थी मुख्य सूची में सफल घोषित किए गए हैं। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त पदों की लिखित परीक्षा का आयोजन 4 एवं 5 नवंबर 2023 को किया गया था। इसके तहत जारी परीक्षा परिणाम में अस्थाई रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन 5 चरणों में 27 फरवरी 2024 से 9 मई 2024 तक किया गया था। साक्षात्कार उपरांत संबंधित सेवा नियमानुसार टीएसपी एवं नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए विज्ञापित पदों के विरूद्ध अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है।

समिति व्यवस्था बैठक आज

अजमेर, (कासं)। सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति द्वारा 858 वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में 15 मई को शाम 6 बजे रसोई बेनकॉट हॉल स्वामी कॉम्पलेक्स कचहरी रोड पर बैठक रखी गई है, जिसमें कार्य विभाजन व रूपरेखा तय की जाएगी। समारोह समिति के साथ सामाजिक व धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेगें। सभी कार्यक्रमों में अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, पर्यटन विभाग, भारतीय इतिहास संकलन समिति, पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केन्द्र मदस विश्वविद्यालय व समारोह समिति का सहयोग रहेगा।

प्रविष्टियों में संशोधन का अवसर

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता-यांत्रिकी (भू-जल विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2023 में संशोधन का अवसर दिया गया है। 15 मई से 24 मई 2024 तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त परीक्षा का आयोजन 30 जून 2024 को किया जाना प्रस्तावित है। ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे।

स्टेशन पर धूम्रपान करने वालों की अब खैर नहीं

अजमेर, (कासं)। अजमेर रेलवे स्टेशन व प्लेटफार्म पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अजमेर जीआरपी व आरपीएफ द्वारा सघन अभियान चलाया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। रेलवे विभाग को सूचना मिल रही थी कि कुछ असामाजिक तत्व स्टेशन के अंदरप्लेटफार्म पर स्वचलित स्केलेटर का स्वीच बंद कर देते हैं, जिससे यात्रियों को पेशानी का सामना करना पड़ता है। प्लेटफार्म पर धूम्रपान करते है।

अजमेर मंडल के सीनियर डीसीएम सुनील महला ने बताया कि अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक पर लगे पंखे में गत दिनों हुई बारिश के कारण बरसात का पानी किसी एक पंखें में चले जाने के कारण विद्युत केबल में फाल्ट होने से कुछ समय के लिए पंखे बंद हो गए थे, जिन्हें सूचना मिलते ही रेलवे विभाग के इलेक्ट्रीशियन बुलाकर कर फॉल्ट को सुधारते हुए पंखें चालू कर दिए। जहां कुछ देर के लिए यात्रियों को परेशान होना पडा, तो वही रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढियों पर आजकल रील बनाने वाले व असामाजिक तत्वों द्वारा स्वचालित सीढियों पर लगे आपातकालीन स्वीच को दबा देते है, जिसके कारण यह सीढियां बंद हो जाती है। यात्रियों द्वारा सूचना देने पर वापस स्वीच को री-स्टार्ट करने पर ही सीढियां चालू होती है। कुछ असामाजिक तत्व प्लेफार्म पर आकर धूम्रपान करते हैं। इसके लिए अब अजमेर रेलवे स्टेशन व प्लेटफार्म पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अजमेर जीआरपी व आरपीएफ को दिशा निर्देश दिए गए हैं।

अजमेरवासियों को जल्द मिलेगा फॉयसागर झील से पीने का पानी

- अजमेर जलदाय विभाग ने पूरी की तैयायिां
- देवनानी के प्रयास लाए रंग

अजमेर, (कासं)। अजमेर उत्तर से भाजपा विधायक व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के प्रयासों से जल्द ही अजमेर की जनता को फॉयसागर झील का पानी पीने के लिए मिलेगा। इसके लिए जलदाय विभाग ने विशेष रूप से व्यवस्था की है। इससे भीषण गर्मी के मौसम में जनता को हो रहे पेयजल किल्लत से भी निजात मिलेगी।

जन स्वास्थ्य एवं अभियात्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता देवराज सोलंकी ने बताया कि फॉयसागर क्षेत्र के हजारों क्षेत्रवासियों को पेयजल समस्या से दो चार होना पड रहा है। क्षेत्रवासियों की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर अजमेर की फॉयसागर झील के पानी को फिल्टर कर उसे पीने योग्य बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे क्षेत्र के लोगो की पेयजल समस्या दूर हो सकेगी। सोलंकी ने बताया कि इससे लगभग तीन एमएलडी पानी की सप्लाई की जाएगी। इसके लिए विशेष रूप से फिल्टर टेंक तैयार किया गया है। साथ ही अब लाइनों की टेस्टिग व अन्य कार्य किए जा रहे है। सोलंकी ने दावा किया कि आगामी एक सप्ताह में इस प्लांट से फॉयसागर के क्षेत्रवासियों को पेयजल मिलना शुरू हो जाएगा।

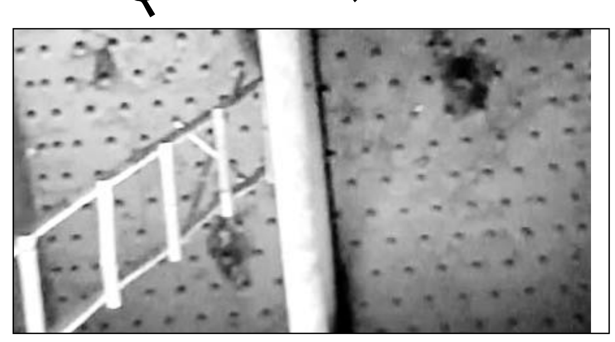

फॉयसागर झील के पानी को फिल्टर कर उसे पीने योग्य बनाया जायेगा।

21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन

- खटीक समाज का 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 16 मई को ब्यावर रोड बकरा मंडी स्थित व्यापारिक विश्राम गृह में आयोजित किया जाएगा, 13 जोड़े कल बनेंगे हमसफर

अजमेर, (कासं)। अखिल भारतीय खटीक महासभा (संकल चौरासी) के तत्वाधान में खटीक समाज का 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 16 मई को ब्यावर रोड बकरा मंडी स्थित व्यापारिक विश्राम गृह में आयोजित किया जाएगा। विवाह समारोह में 13 जोड़े हम सफर बनेंगे।

अखिल भारतीय खटीक महासभा की ओर से मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर महासभा के अध्यक्ष छीतरमल टेपण व महामंत्री विजय नागोरा समारोह की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अलवर, अजमेर, पाली, उदयपुर, ब्यावर, शाहपुरा, दुदु, राजसमंद, जयपुर, डीडवाना, भीलवाड़ा जिलों सहित एक वधु मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी विवाह सम्मेलन में भाग लेंगे।

जिम्मेदारियां सौंपी:-

नागौरा ने बताया कि समारोह के लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि 16 मई को प्रात: 8 से 9 बजे महासभा वर पक्ष की अगुवानी की जाएगी, जिसके प्रभारी मोतीलाल चंदेल, मोहनलाल दायमा, कन्हैयालाल बागडी व मदनलाल सोलंकी को बनाया है। प्रात: 9 बजे से 10 बजे तक वर पक्ष की बिन्दौली निकाली जायेगी।

वर पक्ष घोड़ी पर सवार होकर 10 बजे व्यापारी विश्राम गृह पर पहुंचेंगे। व्यापारी विश्राम गृह के मुख्य द्वार पर वधु पक्ष की माताओं द्वारा तिलक आरती कर दूल्हों का स्वागत किया जाएगा और तोरण की रस्म मोतीलाल चंदेल व भगवानदास नागौरा द्वारा करवाई जाएगी। प्रात: 10 से 11 बजे तक स्टेज पर वरमाला का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके प्रभारी विजय नागौरा, शैतानसिंह सांखला, मंगलराम चांवला को बनाया गया है।

वरमाला के तुरंत बाद पाणिग्रहण संस्कार आयोजित किया जाएगी। वेदी पर दूल्हा-दुल्हन अपना आसन ग्रहण करेंगे, जहां पंडितों द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पाणिग्रहण संस्कार प्रात: 11 से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा, दोपहर 3 बजे विदाई समारोह होगा, जिसके प्रभारी मोतीलाल चंदेल, विजय नागौरा को बनाया गया है। मौके पर ही विवाह पंजीकरण हेतु प्रभारी टीकमचंद टांक, मोहनलाल दायमा, डॉ. घीसालाल चांवला व सुरेश नागौरा को बनाया गया है। अतिथि के रूप में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को आमंत्रित किया गया है।

श्रीमद् भागवत कथा आज से

अजमेर, (कासं)। शास्त्री नगर स्थित स्टार क्वीन मैरिज गार्डन में मुकुट बिहारी रंगा परिवार की ओर से श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महापुराण का आयोजन 15 से 22 मई तक होगा। कथा का वाचन मंदिर बरसाना मथुरा के पंडित सुरेशचंद्र शास्त्री अपनी अमृतमयी वाणी करेंगे। कथा का शुभारंभ बुधवार को कलश यात्रा के साथ होगा। कथा के पदाधिकारी डॉ. एसडी मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कथा वाचक सुरेश चंद्र शास्त्री के सानिध्य में बुधवार सुबह 11 बजे से स्टार क्वीन मैरिज गार्डन के पास मंदिर से कलश यात्रा एवं श्रीमद्भागवत महात्म्य यात्रा शुरू होगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कथस्थल पर संपन्न होगी। कथा प्रतिदिन दोपहर 1:30 से सायं 6:30 बजे तक होगी।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि 22 मई को प्रात: 10 बजे हवन एवं पूर्णाहुति के साथ कथा का समापन होगा। श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी रंगा परिवार की ओर से कराई जाएगी।

पर्यावरण प्रकल्प के अंतर्गत बांधे परिंडे

मसूदा, (निसं)। मसूदा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्षेत्राधिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहगढ़ (शेरगढ़) में मंगलवार को पर्यावरण प्रकल्प के अंतर्गत पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए।

शेरगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य पंकज शर्मा व पंचायत समिति मसूदा वरिष्ठ लेखाकार ऋषि कुमार शर्मा एवं भारत विकास परिषद शाखा बांदनवाड़ा के अध्यक्ष त्रिलोक जांगिड़ की उपस्थिति में विद्यालय परिसर में बेजुबान पक्षियों के लिए तप्त गर्मी में राहत प्रदान करवाने के लिए परिंडे लगाए गए।

इस अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के सदस्य एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉ विष्णु कुमार तेली ने विद्यालय के विद्यार्थियों को पर्यावरण में उपस्थित पक्षियों के महत्व को बताते हुए पक्षियों के लिए परिंडो की उपयोगिता की व्याख्या की एवं विद्यार्थियों और विद्यालय के अध्यापकों को परिंडो में निरंतर पानी डालने की जिम्मेदारी भी प्रदान की।

ध्यातव्य हैं कि भारत विकास परिषद द्वारा पर्यावरण प्रकल्प के अंतर्गत प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु में बेजुबान पक्षियों के पानी पीने हेतु शहरों एवं गांवों में स्थित विद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुए पेड़ो पर परिंडे बांधे जाते है ताकि पानी के अभाव में कोई भी पक्षी की जान नही जाए।

मंगलवार को परिण्डे बांधने के कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यापक दिलीप सिंह पंवार, सांवरलाल शर्मा, संजीदा बानो डायर, प्रेमचंद यादव, शारीरिक शिक्षक जसराज खटीक, प्रमोद शर्मा, तरुण पांचाल तथा शेरगढ़ विद्यालय के अध्यापक राम प्रसाद शर्मा, एसएमसी अध्यक्ष नारायण तेली व गजराज जाट उपस्थित रहे।

निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन

अजमेर, (कासं)। राजकीय आयुर्वेद औषधालय प्रकाश रोड, नागबाई में नि:शुल्क अस्थि घनत्व जांच शिविर का आयोजन 14 मई को सुबह 9 से 2 बजे के मध्य किया गया। शिविर प्रभारी डॉ. धीरज उपाध्याय ने बताया कि लगभग 150 मरीजों में से 130 मरीजों की हड्डियां कमजोर पाई गई।

आम सूचना

मेरी माता सरजू पत्नि चन्दा जाति भांभी निवासी चौसला की मृत्यु दिनांक 15-10-1981 को मेरे निवास स्थान चौसला में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत देवपुरी में नहीं करवाया था। अब मैं मेरी माता सरजू का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अराई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अराई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

प्रार्थी- रामप्रसाद पुत्र चन्दा जाति भांभी निवासी चौसला तहसील अराई (अजमेर)

तैयारियों का लिया जायजा

अजमेर, (कासं)। लोकसभा आम चुनाव- 2024 के तहत 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय परिसर स्थित मतगणना स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने गणना स्थल पर कार्मिकों व चुनाव व गणन अभिकर्ताओं की प्रवेश व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने फोटो युक्त अधिकृत प्रवेश पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को गणना स्थल पर प्रवेश नहीं देने के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही परिसर के अंदर की जा रही सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की।

उन्होंने पर्यवेक्षक की बैठक व्यवस्था, आरओ कक्ष एवं मतगणना कक्ष का भी निरीक्षण कर चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप सभी तरह के बंदोबस्त करने के निर्देश दिए। मीडिया सेल, एनआईसी सेल, जलपान व्यवस्था, सामान्य व्यवस्था प्रकोष्ठ आदि का भी निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित कर कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य मतगणना है।

बड़े निजी स्कूल नहीं दे रहे आर.टी.आई में बच्चों को दाखिला, कलेक्टर से लगाई गुहार

परेशान अभिभावकों ने सौंपा ज्ञापन, कार्यवाही की मांग

अजमेर, (कासं)। राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के नियम के तहत गरीब परिवार के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क दाखिला दिलाया जाता है। लेकिन सरकार की इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार के बच्चों को कम खर्च में बेहतर शिक्षा दिलवाना है, लेकिन बड़े निजी स्कूल इस योजना को ठेंगा दिखाते हुए स्कूलों में एडमिशन नहीं दे रहे है। ऐसा ही मामला अजमेर के अलवर गेट स्थित मयूर स्कूल का सामने आया है।

स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों के बच्चों को स्पष्ट एडमिशन देने से इंकार कर दिया है। परेशानी अभिभावकों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉ. भारती दीक्षित को ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।

मंगलवार को एडवोकेट पवन कुमार बैरवा के नेतृत्व में 10 से 12 अभिभावक बच्चों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर डॉ.भारती दीक्षित से मुलाकात कर उन्हें शिकायती पत्र सौंप कर अलवर गेट स्थित मयूर स्कूल द्वारा आरटीई के तहत नंबर आने के बाद भी बच्चों को एडमिशन नहीं दिए जाने की शिकायत की है।

एडवोकेट बैरवा ने बताया कि आरटीई के प्रावधान के तहत भारत सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए केंद्र व राजय सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल है जो बच्चों को आरटीई के तहत एडमिशन फार्म तो दे देते है, लेकिन बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अभिभावकों ने आरटीई के तहत कक्षा प्रथम के लिए फार्म भरा था। अलवर गेट स्थित मयूर स्कूल में कुछ बच्चों का नंबर आया था, जब अभिभावक बच्चों के साथ स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को दाखिल देने से साफ इंकार कर दिया।

जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए अभिभावक।

मीडिया को जानकारी देते हुए अभिभावक कविता व भारती लालवानी सहित अन्य ने बताया कि मंगलवार सुबह जब हम बच्चों को लेकर मयूर स्कूल पहुंचे तो स्कूल के गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और कहा कि स्कूल में एडमिशन बंद है। उन्होंने बताया कि मयूर स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से कहा कि तीन साल स्कूल में आरटीई के तहत बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। अभिभावकों ने कहा कि समय बीत जाने के बाद अब हम अन्य किसी स्कूल में भी बच्चों एडमिशन नहीं करवा सकते, क्योंकि स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया हो चुकी है।

अभिभावकों ने जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए कार्यवाही की जाए। कलेक्टर डॉ. दीक्षित ने अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि स्कूल प्रबंधन से बात की जाएगी।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की चन्द्रवरदाई नगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या A-324 क्षेत्रफल 50 वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति श्रीमती कविता तायल पत्नि श्री संदीप तायल निवासी चन्द्रवरदाई नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 14/5/2021 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः श्री संदीप तायल पुत्र स्व. सतीश चन्द तायल निवासी चन्द्रवरदाई नगर अजमेर द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के सबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की ग्राम नौसर योजना के आवासीय/भूखण्ड संख्या 527 क्षेत्रफल 100 वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति (1) श्रीमती कमला कंवर उर्फ अम्बा कंवर पत्नि स्व. देवेंद्र सिंह (2) रंजीता राठौड़ पत्नि अनूप शर्मा निवासी वैशाली नगर अजमेर जिसमें (माता) श्रीमती कमला कंवर उर्फ अम्बा कंवर पत्नि स्व. देवेन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 21/5/2018 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः (1) श्रीमती रंजीता राठौड़ पत्नि अनूप शर्मा निवासी 303 बापू नगर अजमेर द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के सबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय-नगर पलिका सावर-राजस्थान

क्रमांक/नपासा/कृ.भू.रू./2024-25/66 दिनांक: 14/5/2024

लोक सूचना

मामला सं.

श्री हेमेन्द्र जैन पुत्र भागचन्द, श्री दीपक पुत्र श्री शोभागमल, श्री अंकित जैन पुत्र श्री सुरेश श्री वर्धमान पुत्र श्री लाभचन्द, श्री विलोक पुत्र श्री विमल निवासी सावर तह. सावर जिला केकड़ी ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर - कृषि (अकृषि) आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है-

जिले और तहसील का नाम	ग्राम/कस्बा का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
केकड़ी - सावर	सावर	2487, 2488, 6152/2487 6219/2488 कुल खसरे 04	0.53 है0, 0.21 है0 0.09 है0, 0.18 है0 कुल रकबा 1.01 है0

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने औश्र अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप - नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14.05.2024 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मुहर